न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय जमुई

सत्र वाद संख्या–135/2021

बिहार सरकार

बनाम

सिद्धु कोड़ा उर्फ मुंशी कोड़ा एवं अन्य।

आदेश

06.02.2023 1. आवेदक/अभियुक्त **सुनीता कुमारी उर्फ सुनीता राणा** पिता रामदेव राणा साकिन हासिकोल, थाना–चकाई, जिला–जमुई की ओर से दिनांक–30.01.2023 को दाखिल नियमित जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दे दी गई है। सुनवाई के समय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक उपस्थित हैं। आवेदक दिनांक–31.01.2020 से कारा में संसीमित है।

2. अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि प्राथमिकी सूचक एस.आई हेमंत कुमार के द्वारा स्वयं के बयान पर दर्ज की गई है और अपने बयान में सूचक का कहना था कि गुप्त सूचना पर कि जंगल में व्यक्ति का लाश पड़ी है, पुलिस पार्टी जंगल पहुँचती है और जंगल के बीचो–बीच एक व्यक्ति का लाश पाया जाता है, जिसे पलटने के क्रम में विस्फोट होता है, जिससे पुलिस पार्टी के सदस्यों को आँख में जलन होने लगती है और एक वायरलेश सेट क्षतिग्रस्त हो जाता है। शंका के आधार पर 45 नक्सलियों को वाद में आरोपित किया जाता है। आवेदक का नाम अनुसंधान के दौरान आया है और उसे किसी दूसरे वाद से पी0डब्लू पर लाया गया है।

3. सुनवाई के समय आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन में कही गई बातों को दोहराते हैं और कहते हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है और उसके कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में इसके पूर्व कोई भी जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध पूर्व से दो अन्य वाद लंबित है जिसमें से एक में वो जमानत पर है। यह भी कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है और उसे चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या–59/18 में उसके दिये सस्वीकृति बयान के आधार पर आरोपित किया गया है। संस्वीकृति बयान का साक्ष्य के रूप में कोई महत्त्व नहीं है। आवेदक अविवाहित महिला है और दिनांक–31.01.2020 से ही बिना कारण के काराधीन है। सह अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत की सुविधा दी गई है और आवेदक का वाद उनसे बेहतर नहीं तो समान धरातल पर खड़ा है। अतः आवेदक को भी जमानत की सुविधा देने की प्रार्थना करते है।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है और आवेदक का विचारण गंभीर आरोप में किया जा रहा है।

5. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी एस0आई हेमंत कुमार के द्वारा स्वयं के बयान पर दर्ज की गई है। आवेदक के विरूद्ध आरोप का गठन दिनांक–11.03.2022 को ही किया जा चुका है। आवेदक दिनांक–31.01.2020 से ही काराधीन है। सह अभियुक्त हीरालाल मुर्मू को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्व में जमानत की सुविधा दी गई है। आवेदक के उपर भी समान आरोप है।

लगातार.....

wpage

–लगातार–

06.02.2023

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदक/अभियुक्त सुनीता कुमारी उर्फ सुनीता राणा की ओर से दिनांक–30.01.2023 को दाखिल जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि न्यायालय की संतुष्टिप्रद 10,000/–(दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समतुल्य राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाए। आवेदक का एक जमानतदार उसका निकटवर्ती संबंधी होगा तथा इस संबंध में न्यायालय में अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि आवेदक विचारण में सहयोग करेगा एवं विचारण के दौरान वो गवाहों को प्रताड़ित नहीं करेगा और सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय,
जमुई।